पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 68/2025

अनवान :

1. भोमाराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र बलुराम जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. रामचन्द्र पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।
3. गुड्डी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।
4. नरेश कुमार पुत्र धर्मा पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।
5. विकास पुत्र धर्मा पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 103/105 के खसरा संख्या 114, 261/4, 314/2, 316/2 कुल खसरा 4 की 6.8150 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मेहरचन्द अकेले की बजाय वादी भोमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 मेहरचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:17:39 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 68/2025

वादीगण :
1 भोमाराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1 मेहरचन्द पुत्र बलुराम जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।
2 रामचन्द पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।
3 गुड्डी पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।
4 नरेश कुमार पुत्र धर्मा पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।
5 विकास पुत्र धर्मा पुत्री मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील भादरा।
6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये प्रबंधक।
7 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनिवाल : वादी

वकील श्री अर्जुन बैनिवाल : प्रतिवादी सं0 1 ता 5

निर्णय **दिनांक : 07-07-2025**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 103/105 के खसरा संख्या 114, 261/4, 314/2, 316/2 कुल खसरा 4 की 6.8150 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 मेहरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादी के दादा बलूराम की खातेदारी हुआ करती थी। बलुराम के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नही है अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे भोमाराम पुत्र मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी मालकस तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी सा[illegible] खाता संख्या 103/105 संवत 2074-77 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी रो[illegible]कस संवत 2035 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी मालकस खाता सं[illegible] वारिसान प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत [illegible] पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:39 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व

Scanned with CamScanner

रेकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मालकस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 103/105 के खसरा संख्या 114, 261/4, 314/2, 316/2 कुल खसरा 4 की 6.8150 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मेहरचन्द अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर कांबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 103/105 के खसरा संख्या 114, 261/4, 314/2, 316/2 कुल खसरा 4 की 6.8150 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मेहरचन्द अकेले की बजाय वादी भोमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 मेहरचन्द तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner